3 /

न्यायालय :— मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी R. 3208 - III/14

1. रमेश पुत्र कृष्णा बाथम
2. श्रीमती नब्बो पत्नी रमेश बाथम
3. मुकेश पुत्र रमेश बाथम
   निवासीगण ग्राम गोपालपुर तह. व जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदकगण

बनाम

1. दामोदर दास पुत्र श्री बल्लभदास राठी निवासी सिटी भोपाल हाल निवासी गोपालपुर तह. व जिला शिवपुरी
2. म.प्र.शासन

——— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला शिवपुरी के प्र.क. 139/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.09.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

निगरानी के संक्षेप्त में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क. 1639 रकवा 0.110 है. ग्राम गोपालपुर में स्थित है शासकीय रिकार्ड खसरा में उक्त भूमि दामोदर दास राठी अना. क. 1 की भूमि स्वामित्व की बतायी गई है और उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक आवेदन पत्र अवैध रूप से धारा 250 म.प्र. भू. रा. संहिता का अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जबाव लेकर आर.आई. से निरीक्षण रिपोर्ट मंगायी और उसी निरीक्षण के आधार पर से कानून और प्रकिया को बुलाए बिना, नियमों को ताक पर रखकर दिनांक 25.08.2014 को आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अनु.वि.अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के साथ स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। परंतु अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को न तो ग्राह्य किया है और ना ही स्थगन आदेश पारित किया है। इस कारण उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत है :—

निगरानी के आधारः—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक—निगरानी—3208—तीन / 2014 जिला—शिवपुरी

रमेश आदि विरूद्ध दामोदर दास व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17—06—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला—शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 139 / 2013—14 / अपील में पारित आदेश दिनांक 16—09—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—शिवुपरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06—08—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	